भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4961

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

डिजिटल अवसंरचना क्षमता

4961. श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधिक कार्य विभाग की डिजिटल अवसंरचना क्षमता को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को नोटरी प्रमाणपत्र जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : विधि कार्य विभाग हार्डवेयर और ई-टूल्स दोनों के मामले में अपनी डिजिटल अवसंरचना क्षमता को मजबूत करने का प्रयास रहा है कि । इस संबंध में, प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को कंप्यूटर का पूरा सेट उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त, नोटरी आवेदन और संबंधित प्रक्रियाओं को फाइल करने को आसान बनाने की अभिवृद्धि के लिए एक अनन्य वेब पोर्टल अर्थात् नोटरी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (एनओएपी) परिकल्पित किया गया है, जो ऑनलाइन माध्यम से नोटरी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने और व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया करेगा । इसके अतिरिक्त, वेब आधारित एप्लिकेशन विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली

(एलआईएमबीएस), संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना अपलोड करने और न्यायालयी मामलों की निगरानी करने के लिए जहां भारत संघ एक पक्षकार है, सृजित किया गया है । लिम्बस के उन्नत वर्जन, लिम्बस वर्जन 2.0 का एनआईसी के सहयोग से प्रचालन किया गया है ।

(ग) और (घ) : नोटरी नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए प्राप्त फीडबैक के आधार पर, नोटरी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (एनओएपी) में वेबपेज आदि पर ई-भारत कोष भुगतान के माध्यम से वार्षिक विवरणी, नमूना हस्ताक्षर और कानूनी फीस के भुगतान को अपलोड करने की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित है ।

******